सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
कार्यालय
आयकर आयुक्त
16, मुमल टॉवर, सहेली मार्ग, उदयपुर,(राज.)

क्रमांकः आ.आ./उदय/2011–2012/U559 दिनांक : 14.02.2012

आदेश :–

विषयः– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी (5) सहपठित धारा 293C एवं नियम 11AA के अधीन छूट ।

—— 00 ——

दानदाताओं द्वारा ***माँ भगवती विकास संस्थान*, 73, *कुमावतपुरा सुरजपोल*, *उदयपुर (PAN AABTM7025N)*** को दिये गये दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन उक्त धारा में विहित सीमाओं तथा शर्तों के साथ आयकर से छूट के योग्य होंगे ।

यह छूट दिनांक **01.04.2012** कर निर्धारण वर्ष **2013–14** से निरस्त नहीं होने तक निम्नाकिंत शर्तों के साथ मान्य होकर किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने पर छूट समाप्त की जा सकेगी :–

1. दानदाताओं को दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित किये जावें और यह स्पष्ट रूप से लिखा जावें कि यह प्रमाण पत्र किस दिनांक/अवधि तक मान्य है ।
2. आयकर विवरणी, आय–व्यय विवरण एवं चिटठा सहित सम्बन्धित आयकर अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में प्रकरण आता हो, को सालाना नियत तिथी को प्रस्तुत किये जावें ।
3. यदि संस्था के संविधान/गठन में कोई संशोधन किया जावे तो इसकी जानकारी इस कार्यालय को तत्काल दी जावे ।
4. संस्था को दिए गए दान के लिए दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80जी(5) के प्रावधानों/शर्तों/सीमाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के हकदार होगें ।

Sd/-
(एस. पी. मीणा)
आयकर आयुक्त
उदयपुर

आयकर आयुक्त उदयपुर

नोट :–

इस प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त संस्था को अपने कर निर्धारण के समय उसके द्वारा किये गये खर्चो की छूट तब ही प्राप्त होगी जब निर्धारिती (संस्था) आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार पुण्यार्थ है और धारा 11, 12, 12ए(ए) तथा धारा 13 में उल्लेखित शर्तें पूरी करती हो।

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष/न्यासी ***माँ भगवती विकास संस्थान*, 73, *कुमावतपुरा*, *सुरजपोल*, *उदयपुर*** ।
2. आयकर अधिकारी, वार्ड–2(1), उदयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि संस्था/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आयकर विवरणी की स्वयं जांच–पडताल करें कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है या नहीं एवं आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं करने तथा किसी अनियमितता पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करें ताकि छूट समाप्त की जा सके।
3. अपर आयकर आयुक्त, रेंज–2, उदयपुर।

(के. आर. बावल)
आयकर अधिकारी (तक.)
कृते आयकर आयुक्त, उदयपुर